



प्र.क. R- PBR/2015

प्रस्तुति दिनांक : / 09 / 2015

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर,

म.प्र. केंप इंदौर

ज्ञान पाठ
निग / ३२२०/PBR/15

दिनांक 29.9.15 के
का सं.क्ष. शुद्धा ज्ञान
द्वारा उक्तुत/ श्रीमती सरोज मारु पति स्व. श्री दिलीप मारु
निवासी - हामु. 165, प्रगति नगर, राजेन्द्र नगर
के पास, इन्दौर म.प्र.

-- प्रार्थीनी / निगरानीकर्ता

50

// विरुद्ध //

1. राजेश अग्रवाल पिता श्री कल्याण अग्रवाल,
निवासी - 102, जानकी नगर एक्सटेंशन, इन्दौर
2. सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन
शाखा भोपाल (म.प्र.)

---- विषयकीगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूरा.संहिता 1959

महोदय,

इसमें अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील
व जिला धार द्वारा रा.प्र.क. 39/अ-6/2014-15 में पारित आदेश
दिनांक 17/08/2015 से असंतुष्ट व व्यथित होकर प्रार्थीनी द्वारा इस
माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

OK
[Signature]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षण
6.10.2015	<p>आवेदक की ओर से श्री अंगूष्ठा शर्मा आमीनाबद्द उपायिता। ग्रामपत्र पर लुमा गया। इस प्रधान मंडल का अहीं किसी क्षियारबीज है विधि टहलीटुगा। इस आवेदक की आपात्ति रखिया कर्त्तव्य सम्बन्धी आदेश दिया गया। अतः तहसीलदार का आदेश 15 नोवंबर 17.8.2015 विरक्त किया जाएगा। प्रकाश बोलता (हुआ) आदेश पारित कर्त्तव्य देने तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(अंगूष्ठा) 6.10.15</p> <p style="text-align: right;">(अंगूष्ठा) 6.10.15</p>	